

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com

Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक

/

दिनांक, अल्मोड़ा,

21/02/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्द्रा नगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 16 के अन्तर्गत बसोलीखान-चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग के निर्माण। (प्रस्ताव सं० 37559/2018)

सन्दर्भ : भारत सरकार की पत्र संख्या 08बी/यू०सी०पी०/०६/८२/२०२०/एफ०सी०/१२५८ दिनांक २०.१२.२०२२ तथा आपकी पत्र सं० १५६०/FP/UK/ROAD/37559/2018 दिनांक ३०.१२.२०२२।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लगायी गयी बिन्दु सं० १ पर आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर दो-दो प्रतियों में निम्नानुसार ऑफलाइन महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	के०एम०एल० फाईल के अवलोकन उपरांत प्रस्तावित Alignment में इतर परिवर्तन पाया गया है, जोकि एफ०सी०ए० १९८० के नियमों का उल्लंघन है। इस हेतु राज्य सरकार से अनुरोध है कि संबंधित डी०एफ०ओ० की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें एवं यदि प्रस्ताव में एफ०सी०ए० १९८० के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इस हेतु संबंधित डी०एफ०ओ० द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट भी इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित Alignment में परिवर्तन नहीं किया गया है। और न ही एफ०सी०ए० १९८० के नियमों का उल्लंघन हुआ है। तथा प्रस्तावित मार्ग में स्वीकृत संमरेखन में मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव विभाग द्वारा उपलब्ध किया गया है। जिसे संलग्न प्रेषित की जा रही है। अतः मार्ग निर्माण कार्य में एफ०सी०ए० १९८० के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रस्ताव में स्वीकृति संमरेखन के अनुसार ही मार्ग का निर्माण कार्य किया गया है।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मातोलिया)

प्रभागीय वनाधिकारी,

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 2444 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

2. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई० अल्मोड़ा को उनके पत्र सं० १७७/व०भू० दिनांक १७.०२.२०२३ के क्रम में।

(ध्रुव सिंह मातोलिया)

प्रभागीय वनाधिकारी,

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० अल्मोड़ा

फोन/फैक्स न०-05962-233732

Email ID-eeptmgssyalmora1@rediffmail.com

पत्रांक-177/वन भूमि
सेवा में,

दिनांक-17/02/2023

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

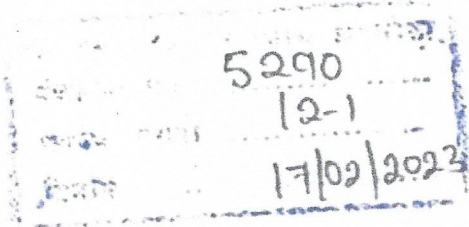
विषय:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 16 के अन्तर्गत बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.275 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/37559/2018

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्र संख्या-8वी०/यू०सी०पी०/06/82/2020/एफ०सी०/1258, दिनांक-20/12/2022.
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 16 के अन्तर्गत बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.275 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत् स्वीकृति की आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जा रहा है।

क्रसं०	आपत्ति	निराकरण
3-	के०एम०एल० का अवलोकन उपरान्त प्रस्तावित Alignment इतर परिवर्तन पाया गया है, जोकि एफ०सी०ए० 1980 के नियमों का उल्लंघन है। इस हेतु राज्य सरकार से अनुरोध है, कि संम्बन्धित डी०एफ०ओ० की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। एवं यदि प्रस्ताव में एफ०सी०ए० 1980 के नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो इस हेतु संम्बन्धित डी०एफ०ओ० द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट भी इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	उक्त आपत्ति का निराकरण कर प्रमाण पत्र आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है, कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव को विधिवत् स्वीकृति हेतु नोडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि ससमय प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त हो सके।



अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०,
अल्मोड़ा

- प्रतिलिपि-1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, कुँ०क्षे० अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०,
अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 16 के अन्तर्गत बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित **Alignment** में इतर परिवर्तन नहीं किया गया है, और न ही एफ0सी0ए0 1980 के नियमों का उल्लंघन हुआ है। प्रस्तावित मार्ग में स्वीकृत संरेखण में ही मार्ग का निर्माण कार्य करवाया गया है।

अतः प्रकरण में अपने स्तर से भी अवगत करने का कष्ट करें।

अधिशाली अधिष्ठाता,
सिबिई खान्ना प्रमोडमोजीएससाई।
अल्मोड़ा